न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-62/2017/टोंक (2017/00076)

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्योराम माली पत्नी सीताराम माली निवासी डुंगरी हाल निवाई तहसील निवाई, जिला टोंक

अपीलांट

बनाम

1. श्री राम प्रसाद पुत्र नारायण मुतवन्ना पुत्र श्योराम माली, निवासी डुंगरी हाल निवाई निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. ग्राम पंचायत सोडा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत सोडा, तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. ग्राम पंचायत सोडा जरिए सचिव, ग्राम पंचायत सोडा, तहसील मालपुरा जिला टोंक
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, मालपुरा जिला टोंक

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टोंक दिनांक 12.03.2014 अंतर्गत अपील संख्या 05/2012.

उपस्थितः-

1. श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री मनीष व्यास, अभिभाषक रेस्पो01 उपस्थित एवं 2,3 अनुपस्थित ।
3. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

निर्णय

दिनांक :- 26.11.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकरी, मालपुरा जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

Scanned by CamScanner

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में प्रथम अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 164 दिनांक 05.04.2012 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 12.03.2014 को निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये परन्तु निर्णय के अंतिम पैरा में विवादित भूमि के संबंधित नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष विचाराधीन होने के कारण अपीलांट पुष्पा देवी को ताफैसला वाद में पावंद किया गया कि वह विवादित भूमि को अंतरण नहीं करें। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा का निर्णय दिनांक 12.03.2014 न्याय, विधिविरूद्ध, अवैध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4- अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि श्योराम के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी एवं श्योराम के देहांत दिनांक 10.03.2011 को होने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र अपीलांट पुष्पा देवी द्वारा ग्राम पंचायत सोडा के समक्ष प्रस्तुत कर मृतक श्योराम की एक मात्र वारिस होने के कारण नामान्रकरण अपीलांट पुष्पा देवी के नाम तस्दीक किया जावें। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.04.2012 को नामान्तरकरण संख्या 164 विरासतन तस्दीक किया गया था, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं की थी। रेस्पोडेंट राम प्रसाद अपने आपको मृतक श्योराम का दत्तक पुत्र मानते हुए एक वसीयत दिनांक 05.12.2007 को रूपये 100/- स्टाम्प के आधार पर अपील उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा दिनांक 12.03.2014 को खारिज किया गया परन्तु निर्णय के अंतिम पैरा में अपीलांट पुष्पा देवी को विवादित भूमि को अंतरण करने हेतु पाबंद कर दिया, जो निरस्तनीय है। xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

5- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में रेस्पोडेंट राम प्रसाद द्वारा एक नियमित वाद संख्या 76/2011 उनवान राम प्रसाद बनाम पुष्पा देवी एवं दावे के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 49/2011 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 05.10.2011 को विवादित आराजी का मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया गया। रेस्पार्डेट पुष्पा देवी द्वारा उक्त एकतरफा स्थगन आदेश के विरूद्ध मौजूदा अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील संख्या 55/2011 पुष्पा देवी बनाम राम प्रसाद प्रस्तुत की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 05.10.2011 को स्थगित रखते हुए विवावदित आराजी को रहन, दान, बेचान आदि से पावंद करने के आदेश प्रदान किये गये, जो अभी विचाराधीन है। नामांतरकरण संख्या 164 ग्राम पंचायत, सोडा द्वारा दिनांक 06.04.2012 को तस्दीक किया गया था, उस समय नामान्तरकरण तस्दीक करने पर कोई रोक राजस्व अपील अधिकारी, टोंक द्वारा नहीं थी केवल रहन, दान एवं बेचान पर पाबंदी लगाई गयी थी इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 164 सही रूप से अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया था। xx

6- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष विचाराधीन अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट को ना तो प्रस्तुत किया जा सकता है एवं ना ही उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान किया जा सकता है। जब नियमित वाद राजस्व अपील अधिकारी, टोंक में विचाराधीन है, जिसमें केवल रहन, दान व बेचान नहीं करने हेतु पावंद किया गया था। उक्त प्रकरण में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाने के आदेश को स्थगित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी, टोंक ने पक्षकारों पावंद किया था वह प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए रहन, दान व बेचान नहीं करें। ग्राम पंचायत सोडा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी परन्तु उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अंतिम पैरा में अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। xx

7- अभिभाषक अपीलांट की उक्त बहस के कम में रेस्पोर्डेट 1 के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, सोडा ने गौर नहीं किया कि राम प्रसाद ने एक नियमित वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है और उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 05.10.2011 को दोनों पक्षों को सुनकर मौका व रिकार्ड की यथाासिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है तथा जिसके विरूद्ध पुष्पा देवी की अपील में आराजी जैर बहस रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु पावन्द कर रखा है। तात्पर्य यह है कि जिस दिन ग्राम पंचायत, सोडा ने विरासत का नामान्तरकरण पुष्पा देवी के नाम तस्दीक किया उस दिन उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा एवं राजस्व अपील अधिकारी, टोंक से विवादित आराजीयात बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति एवं आराजी जैर बहस रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु आदेश पारित किये हुये थे। इसके बावजूद इस तथ्य को छुपा कर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश अवैध एवं प्रभाव शून्य है। xx

8- रेस्पोर्डेट अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि जब विवादित आराजीयात बाबत उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा में नियमित वाद विचाराधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

है तो ऐसी फिस्कल कार्यवाही स्वतः स्थगित होती है तथा वाद के निस्तारण के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने गौर नहीं किया कि उनके न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण का विचाराधीन नियमित वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का श्योराम पुत्र पाचूराम की विरासत का निर्णय होना है किन्तु इससे पूर्व ग्राम पंचायत, सोडा ने विरासत का इन्तकाल रेस्पो0 सं0 1 पुष्पा देवी के नाम तस्दीक कर विधिविरूद्ध कार्यवाही की है। अतः अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निर्णय दिनांक 12.03.2014 तथा ग्राम पंचायत, सोडा के आदेश दिनांक 05.04.2012 नामान्तरकरण संख्या 164 न्यायहित में निरस्त करने के आदेश करने की कृपा करावें। xx

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सोडा द्वारा श्योराम की एक मात्र प्राकृतिक वारिस बेटी पुष्पा देवी के नाम नामान्तरकरण 164 दिनांक 05.04.2012 स्वीकृत किया है। जहां तक अपीलांट रामप्रसाद के दत्तक पुत्र होने अथवा मूल खातेदार मृतक श्योराम द्वारा उसके हक में वसीयत निष्पादित करने का प्रश्न है, उसके लिए अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसका निर्णय होना शेष है एवं निर्णयानुसार हक, अधिकारों का निर्णय हो सकेगा। नामान्तरकण कार्यवाही तो मात्र FISCAL PROCEEDIGNG है। xx

10- अपीलांट ने अपनी बहस में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) प्रस्तुत दावे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट में अपीलाधीन आराजी पर स्थगन आदेश पारित किये जाने के कथन किये है। हमारी सुविचार राय में विरासतन नामान्तरकरण हेतु स्थगन आदेशों का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि भूमि (विवादित आराजीयात) मृत व्यक्ति के नाम (अवेन्स) में नहीं रह सकती है। ऐसी स्थिति में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत, सोडा द्वारा प्राकृतिक वारिस एक मात्र बेटी पुष्पा देवी के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसे यथावत रख अपीलांट अपील अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) ने खारिज कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) ने अपने निर्णय में पक्षकारों को अन्तरण से पाबन्द कर वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित भी रखा है, जो पूर्णतय युक्तियुक्त है इसलिए हम अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) के निर्णय को निरस्त करना उचित नहीं समझते है। xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 62/2017 (2017/00076) बउनवानी श्रीमती पुष्पा देवी बनाम राम प्रसाद व अन्य को खारिज किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टोंक द्वारा अपील

Scanned by CamScanner

संख्या 5/2012 बउनवान राम प्रसाद बनाम पुष्पा देवी में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.11.26 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: